न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0पत्र / 04 / 2022

1. मनोहरदास उर्फ मनोहरी पुत्र शिवदास
2. श्यामदास
3. जीवनदास
4. ज्ञानदास

(2–4) पुत्रगण मोहनदास

(1–4) जाति जाटव निवासी भौंट तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

......प्रार्थीगण

बनाम

1. नीतू बंसल पत्नि लक्ष्मन प्रसाद जाति वैश्य निवासी कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. लतेश कटारा पत्नि राकेश जाति ब्राह्मम्ण निवासी लामोआ पट्टी पिचूना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
3. जयसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति गूर्जर निवासी अटलबंध भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
4. हितेश पुत्र शम्भूदयाल जाति ब्राह्मम्ण निवासी भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
5. शीतम पत्नि मोतीलाल जाति जाटव निवासी तिलक नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
6. वीरपाल पुत्र भगतसिंह जाति जाटव निवासी रूद्र नगर कालोनी सेवर भरतपुर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली वमुकदमा उनवानी कल्यानसिंह बनाम मोहनदास आदि मुकदमा संख्या 04 / 2018 राजस्व वाद (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्र0स0 27 / 2021 उनवानी मोहनदास बनाम नीतू आदि विरूद्व राजीव शर्मा सहायक कलक्टर उच्चैन ।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

निर्णय दिनांकः 23.02.2022

यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रार्थीगण ने विरूद्व अप्रार्थीगण व खिलाफ न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन पीठासीन अधिकारी श्री राजीव शर्मा आर.ए.एस पेश किया गया है। प्रार्थीगण का कथन संक्षेप इस प्रकार हैं कि एक राजस्व वाद उनवानी कल्यानसिंह बनाम मोहनदास आदि मुकदमा संख्या 04 / 2018 तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्र0स0 27 / 2021 उनवानी मोहनदास बनाम नीतू आदि न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन में विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी राजीव शर्मा से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस की गई तथा सहायक कलक्टर उच्चैन से टिप्पणी तलब की गई। सहायक कलक्टर उच्चैन से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण सहायक कलक्टर उच्चैन में विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 18.01.2022 नियत है। प्रकरण के साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए भी पेश किया हुआ जिसमें भी तारीख पेशी 18.01.2022 नियत है। न्यायालय द्वारा कोरोना काल में मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा कार्यवाहियों पर रोक के बावजूद भी प्रकरण में बहस सुनकर प्रार्थना पत्र के निर्णय हेतु तारीख पेशी 18.01.2022 नियत की गई है। प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर कोई गौर नही किया जा रहा है और तथ्यों के बिना ही प्रकरण का निस्तारण जल्दबाजी में किया जा रहा है। प्रार्थीगण जाटव जाति से है व वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 36 व 37 वाके ग्राम भौंट में स्थित है जिसके नवीन नम्बर 49 व 50 वाके ग्राम भौट निर्मित किये है जो कि प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की खातेदारी आराजी रही है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई सबंध व सरोकार नही है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर सम्वत् 2012 से कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी रही है। प्रकरण में प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि वे प्रकरण में प्रार्थीगण के विरूद्ध फैसला किया जावेगा तथा न्याय नही दिया जावेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नजदीक तारीख पेशी जानबूझकर दी है जबकि प्रकरण नजदीक तारीख पेशी दिये जाने का कोई आधार नही है। अप्रार्थीगण ने भी धमकी दी है कि

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

उनकी पीठासीन अधिकारी से पहुंच बन गई है तथा उनका कार्यालय में आना जाना है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कार्यालय में आते जाते देखा गया है। यदि वे धमकी में सफल हो गये तो हमें असीम क्षति होगी और न्याय से वंचित होना पडेगा। अन्त में अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सहायक कलक्टर उच्चैन के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण को किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने तर्को में जाहिर किया है कि एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन में विचाराधीन है जो कि बहस स्तर पर विचाराधीन है। प्रार्थीगण द्वारा सहायक कलक्टर उच्चैन पर लगाये गये आरोप निराधार है। प्रकरण न्यायालय में कानूनी कार्यवाही विचाराधीन है। यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो निराधार व सारहीन है। वकील अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को खारिज करने का अपनी बहस में निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर करते हुए सहायक कलक्टर उच्चैन से प्राप्त टिप्पणी पर मनन किया। स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा सहायक कलक्टर उच्चैन के न्यायालय में राजस्व वाद उनवानी कल्यानसिंह बनाम मोहनदास आदि (प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए प्र0स027 / 2021 उनवानी मोहनदास बनाम नीतू आदि) विचाराधीन है किन्तु सहायक कलक्टर की टिप्पणी अनुसार पत्रावली में 18.01.2022 तारीख पेशी नियत नही थी। इसके अलावा प्रार्थीगण ने अपने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में सहायक कलक्टर उच्चैन के विरूद्व लगाये गये आरोपों के सबंध में कोई ठोस साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किये गये है और ना ही अपनी बहस में आरोपों को सिद्ध कर सके है। इस प्रकार से प्रकरण में कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत नही किया है जिससे आधार स्पष्ट हो सके। अतः प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आज्ञा है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर उच्चैन को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर